राजस्थान–सरकार
कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग राज.
"पंजीयन–भवन" अजमेर

क्रमांक : एफ.7(507)विधि/विविध/2017/3600–4142 दिनांक : 19-6-17

1. अतिरिक्त महानिरीक्षक,
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
वित्त भवन, जयपुर।

2. समस्त उप महानिरीक्षक,
पंजीयन एवं मुद्रांक,
राजस्थान।

3. समस्त उप पंजीयक,
(पूर्णकालीन एवं पदेन),
राजस्थान।

विषय :– माननीय न्यायालय में लम्बित न्यायिक प्रकरणों में प्रभावी कार्यवाही बाबत।

दिनांक 29.05.17 को प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में निर्देश दिये है कि ऐसे न्यायिक प्रकरण जो माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय तथा राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर में विचाराधीन है और उनमें विभाग के विरूद्ध स्थगन आदेश जारी है, उनको शीघ्र निस्तारण की कार्यवाही करावें।

समस्त उप महानिरीक्षकगण को उनके वृत्त से संबंधित न्यायिक प्रकरणों की सूचना भिजवाकर न्यायिक प्रकरणों का समग्र रूप से परीक्षण/निरीक्षण करने हेतु निर्देशित किया गया था, किन्तु इस संबंध में उनके द्वारा की गई कार्यवाही की सूचना इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुई है। अतः न्यायिक प्रकरणों के संबंध में निम्न कार्यवाही किये जाने हेतु पुनः निर्देशित किया जाता है :–

1. समस्त वाद प्रभारी अधिकारी न्यायिक प्रकरणों का रजिस्टर संधारित कर उनमें आगामी तारीखों का अंकन कर मुख्यालय को अवगत करायेंगे।
2. समस्त न्यायिक प्रकरणों का अवलोकन कर यह सुनिश्चित करेंगे कि उनमें विभाग की ओर से जवाब दिया जा चुका है। यदि किसी न्यायिक प्रकरण में राज्य पक्ष की ओर से जवाब दिया जाना शेष है तो श्री धीरज त्रिपाठी, राजकीय अधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर मो. नं. 9413340706 एवं श्री नरेन्द्र सिंह राजपुरोहित, राजकीय अधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर मो.नं. 9783878477 से सम्पर्क कर विभाग की ओर से जवाब तैयार करवाकर मुख्यालय से अनुमोदन करवाने के पश्चात् न्यायालय में तत्काल पेश करने की कार्यवाही करायेंगे। न्यायालय में जवाब पेश करने से बकाया रहने के कारणों के संबंध में मुख्यालय को दूरभाष से अवगत करावें, ताकि जवाब पेश करने में आ रही कठिनाई के संबंध में अग्रिम कार्यवाही की जा सकें। यह सुनिश्चित किया जायें कि कोई प्रकरण जवाब हेतु 3 माह से अधिक अवधि का लम्बित नहीं हो।
3. महत्वपूर्ण न्यायिक प्रकरणों में राजकीय पक्ष की ओर से ठोस पैरवी हेतु महाधिवक्ता/अतिरिक्त महाधिवक्ता की नियुक्ति किया जाना अपेक्षित हो तो ऐसी स्थिति में औचित्यपूर्ण प्रस्तावों के साथ मुख्यालय को समय पर प्रस्ताव प्रेषित किया जावें उक्त न्यायिक प्रकरण में महाधिवक्ता/अतिरिक्त महाधिवक्ता की नियुक्ति करवाई जा सकें।
4. महत्वपूर्ण न्यायिक प्रकरणों में राजकीय पक्ष की ओर से पूर्व में जवाब पेश किया जा चुका है तथा जवाब पेश करने के पश्चात् महाधिवक्ता/अतिरिक्त महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा कर दी जाती है तो उन मामलों में संबंधित महाधिवक्ता/अतिरिक्त महाधिवक्ता से व्यक्तिशः सम्पर्क कर जवाब का अवलोकन करवाया जावें और यदि उसमें कोई तथ्यात्मक अथवा विधिक रूप से कोई कमी दर्शित होती है तो पूरक जवाब न्यायालय में प्रस्तुत कराया जाकर उसकी सूचना मुख्यालय को दी जायें।
5. ऐसे न्यायिक प्रकरण जिनमें न्यायालय द्वारा राजस्व राशि वसूली पर स्थगन आदेश दिये हुए है उनमें स्थगन आदेश निरस्त करवाने हेतु संबंधित राजकीय अधिवक्ता से सम्पर्क कर अपेक्षित प्रार्थना–पत्र न्यायालय में पेश कर प्रार्थना पत्र की प्रतियों सहित सूचना मुख्यालय को उपलब्ध करावें।
6. ऐसे न्यायिक प्रकरण जिनमें न्यायालय द्वारा वसूली पर स्थगन आदेश जारी नहीं किये गये है उनमें वांछित वसूली की राशि नियमानुसार वसूल कर मुख्यालय को प्रकरणवार सूचना उपलब्ध करवायें तथा संबंधित अतिरिक्त महाधिवक्ता/राजकीय अधिवक्ता को भी अवगत कराया जावें, ताकि उनके द्वारा न्यायालय में पैरवी के समय उक्त तथ्य प्रस्तुत किया जा सकें।
7. जिन प्रकरणों में आप प्रभारी अधिकारी नियुक्त है उन प्रकरणों को नियमित रूप से राजस्थान उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, राजस्थान कर बोर्ड की वेबसाईट पर निरीक्षण करेंगे एवं यदि किसी प्रकरण का निर्णय हो चुका है तो वेबसाईट पर उपलब्ध निर्णय की प्रति मुख्यालय

को उपलब्ध करवायी जावें। जिन प्रकरणों में डिफेक्ट दर्शाया गया है तथा राज्य पक्ष की ओर से कोई दस्तावेज, सूचना पेश करना बकाया है तो संबंधित अतिरिक्त महाधिवक्ता/राजकीय अधिवक्ता से सम्पर्क कर वांछित कार्यवाही तत्काल पूर्ण कर डिफेक्ट को दूर करावें। यह सुनिश्चित किया जावें कि कोई भी न्यायिक प्रकरण डिफेक्ट के कारण खारिज नहीं हो।

8. न्यायालय द्वारा विभाग के विरूद्ध निर्णय पारित करने की स्थिति में निर्णय की प्रमाणित प्रति न्यायालय से प्राप्त कर राजकीय अधिवक्ता की अपील/नो–अपील बाबत राय प्राप्त कर 3 दिवस की अवधि में मुख्यालय को उपलब्ध करावें।

9. जिन न्यायिक प्रकरणों में भारी राजस्व राशि निहित है तथा अधिनियम/नियम/अधिसूचना/विभागीय नीति को चुनौती दी गई है। उनमें अतिरिक्त महाधिवक्ता की नियुक्ति करवाकर जवाब तत्काल न्यायालय में पेश कराने की कार्यवाही करावें एवं उक्त प्रकरण में न्यायालय में दिन–प्रतिदिन वहीं कार्यवाही की सूचना तत्काल ई–मेल के माध्यमें से मुख्यालय को भिजवाई जावें।

10. एक ही प्रकृति के समान प्रकरणों को क्लब करवाने हेतु संबंधित अतिरिक्त महाधिवक्ता/राजकीय अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उनके निस्तारण की कार्यवाही करावें।

11. किसी बिन्दु विशेष पर माननीय न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया गया है एवं वह निर्णय अंतिम हो गया है तो वर्तमान में लम्बित उसी प्रकृति के समान प्रकरणों को पूर्व निर्णय के आधार पर निस्तारित कराने की कार्यवाही की जायें।

12. राज्य सरकार द्वारा न्यायालय निर्णयों के विरूद्ध उच्चतर न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने का निर्णय लिया जाकर अपील पेश करने हेतु निर्देशित किया जाता है उन मामलों में तत्काल संबंधित अतिरिक्त महाधिवक्ता/राजकीय अधिवक्ता से सम्पर्क कर तत्काल अपील पेश करने की कार्यवाही की जावें।

13. माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के संबंध में राज्य सरकार के द्वारा नो–अपील का निर्णय लिया जा चुका है। उक्त निर्णय की अनुपालना के संबंध में कोई कार्यवाही शेष है तो इस संबंध में अनुपालना हेतु वांछित स्वीकृति हेतु प्रस्ताव तैयार कर मुख्यालय को भिजवायें ताकि अग्रिम कार्यवाही की जा सकें।

14. न्यायालय निर्णयों की पालना समय पर नहीं होने एवं अपील में स्थगन आदेश प्राप्त नहीं कर पाने के कारण याची द्वारा न्यायालय में अवमानना याचिका दायर की दी जाती है। अतः इस संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि अब तक निर्णित सभी प्रकरणों की पहचान सुनिश्चित की जावें और यदि उनमें आगे नो–अपील आदि की कार्यवाही हो गई है तो निर्णय की पालना सुनिश्चित की जावें। जिन प्रकरणों में अपील/विशेष अनुमति याचिका/रिव्यू/पुर्नस्थापन के निर्देश प्रसारित किये गये हैं उनमें अविलम्ब उक्त कार्यवाही करकें स्थगन प्राप्ति के प्रभावी प्रयास किये जावें।

15/6/17

(डॉ. राजेश शर्मा),
महानिरीक्षक,

क्रमांक : एफ.7(507)विधि/विविध/2017/4143-4243 दिनांक : 19-6-17

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (कर) विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर।
3. समस्त कलक्टर एवं जिला पंजीयक, राजस्थान।
4. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, एस.आर.ए.5/कार्यालय महालेखाकार, (वाणिज्यिक एवं प्राप्ति लेखापरीक्षा) राजस्थान, जनपथ, जयपुर।
5. पंजीयक, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर को कर बोर्ड के माननीय सदस्यों के अवलोकनार्थ।
6. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय, अजमेर।
7. संयुक्त निदेशक (कम्प्यूटर), मुख्यालय, अजमेर को परिपत्र की प्रति, विभाग की वेबसाईट igrs.rajasthan.gov.in पर अपलोड कराने हेतु।
8. वरिष्ठ विधि अधिकारी, कार्यालय उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक), वृत–जयपुर/जोधपुर।
9. उप राजकीय अभिभाषक, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।
10. समस्त प्रभारी, आन्तरिक लेखा जॉच दल, मुख्यालय, अजमेर।
11. निजी–सचिव, महानिरीक्षक/निजी–सहायक, अतिरिक्त महानिरीक्षक, अजमेर।
12. समस्त शाखाएँ, मुख्यालय, अजमेर।

उप विधि परामर्शी 16/6/2017